

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र06-रा0कू0मुद्रण-01/15-खंड **7105** खाद्य,पटना/दिनांक 03/09/15

प्रेषक,

रमाशंकर प्र0 दपतुआर,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- माह सितम्बर, 2015 से खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण राशन एवं किरासन कूपन के माध्यम से करने के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 5948 दिनांक 31.07.2015 एवं पत्रांक 6087 दिनांक 05.08.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-5293 दिनांक 09.07.2015 एवं पत्रांक-5496 दिनांक 14.07.2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि वर्ष 2015-16 में राशन कूपन योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना, पूर्विकताप्राप्त श्रेणी, अन्नपूर्णा लाभुकों का राशन कूपन एवं किरासन कूपन योजनान्तर्गत पारिवारिक सर्वेक्षित सूची के आधार पर चयनित लाभुक परिवारों हेतु किरासन कूपन माह जुलाई, 2015 से जून, 2016 तक के लिए मुद्रण कराकर जिला में आपूर्ति किया जा चुका है एवं माह जुलाई, 15 से खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण कूपन के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया था । विभागीय पत्रांक 5948 दिनांक 31.07.2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की छायाप्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न की गई थी । दिनांक 31.08.2015 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इससे संबंधित CWJC No. 10666/2015 में दिनांक 24.07.2015 के आदेश को Vacate करते हुए वाद को निरस्त (Dismissed) कर दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि उक्त आदेश के आलोक में पुनः अवशेष कूपनों को पात्र लाभुकों के बीच पूर्ववत् शीघ्र वितरित कराया जाय । साथ ही, माह सितम्बर, 2015 से खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण क्रमशः राशन कूपन एवं किरासन तेल कूपन के आधार पर ही कराया जाय । इस संबंध में निम्नलिखित बिन्दु को स्पष्ट किया जा रहा है :-


1. अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत सभी पात्र लाभुकों को कूपन उपलब्ध कराया गया है, तदनुसार राशन कार्ड के अतिरिक्त कूपन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित किया जाय ।

2. पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के वैसे लाभुक जिनको पूर्व से ही खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है एवं कूपन उपलब्ध कराया गया है उन्हें राशन कार्ड के अतिरिक्त कूपन के माध्यम से ही खाद्यान्न का वितरण कराया जाय ।

3. पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के वैसे लाभुक जिनको माह सितम्बर, 2015 से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, परन्तु कूपन उपलब्ध नहीं कराया गया है उन्हें NFSA के अन्तर्गत वितरित राशन कार्ड के आधार पर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं भुगतानशुदा कूपन के अनुरूप प्रतिवेदन के आधार पर ही जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अगले माह का आवंटन दिया जाय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के वैसे लाभुक जिनको सिर्फ राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है उसका वितरण पारदर्शी एवं निगरानी समिति की उपस्थिति में ही सुनिश्चित की जाय ।

NFSA के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्यता है। अतः जिन लाभार्थियों को कूपन उपलब्ध नहीं कराया गया है उन्हें कूपन की आड़ में लाभ से वंचित नहीं की जाय ।

अनु०:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

3/9/15
सरकार के संयुक्त सचिव ।

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.10666 of 2015

31 EB COPY

1. Jan Seva Sangharsha Samiti, Village Dighi Kalan (West), Post Office Dighi, Police Station hajipur Sadar, District Vaishali through its Secretary Ram Narayan Rai S/o Late Pukar Rai.

..... Petitioner/s

Versus

NOT OFFICIAL

1. The State of Bihar.
2. The Principal Secretary, Food and Consumer Security Department, Old Secretariat Building, Patna - 800001.
3. The Bihar State Food Commission, Secretariat Building, Patna-800001, through its Chairperson.
4. The District Magistrate, Vaishali at Hajipur.
5. The District Supply Officer Vaishali at Hajipur.

..... Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s : Mr. Najmul Hoda, Advocate.
Mr. Arjun Prasad, Advocate.

For the Respondent/s : Mr. Devendra Kr Sinha, AAG-2
Mr. Alok Kumar Rahi, AC o AAG-2

CORAM: HONOURABLE THE ACTING CHIEF JUSTICE
and
HONOURABLE MR. JUSTICE CHAKRADHARI
SHARAN SINGH

ORAL ORDER

(Per: HONOURABLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

4 31-08-2015

Heard Mr. Najmul Hoda, learned Counsel, appearing on behalf of the petitioner, and Mr. D.K. Sinha, learned Additional Advocate General No. 2, appearing on behalf of State-respondents.

After some argument, learned counsel for the petitioner seeks permission to withdraw this application with liberty to make appropriate application, in future, if so advised, and also to take recourse to such provisions of law as may be permissible.

No objection has been raised to the prayer for withdrawal made by the petitioner.

In view of the above and in the interest of justice, the application is hereby disposed of as withdrawn with liberty granted to the petitioner to approach this Court with appropriate application, in future, if so advised, and also to take recourse to such provisions of law as may be permissible.

The interim stay order, dated 24.07.2015, stands vacated.

(I.A. Ansari, ACJ.)

(Chakradhari Sharan Singh, J.)

Mkr./-

U			
---	--	--	--

01/09/2015

FAXMemo No. 7903 /PatnaDate 01/09/2015

**OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL, BIHAR
HIGH COURT, PATNA**

J.S.2

**From: Devendra Kumar Sinha
(Senior Advocate)
Addl. Advocate General No. 2
High Court Patna**

To,

1. The Principal Secretary, Food and Consumer Security Department,
Old Secretariat Buildings, Patna
2. The Joint Secretary, Food and Consumer Security Department, Old
Secretariat Buildings, Patna
3. The District Magistrate, Vaishali at Hajipur

**Sub:- C.W.J.C. No. 10666/2015
Jan Seva Sangharsha Samiti V/s The State of Bihar & Ors.**

The present writ petition has been finally heard on 31.08.2015 and after hearing the parties the petitioner has withdrawn the writ petition and the Hon'ble Court has vacated the stay granted on 24.07.2015 and dismissed ^{the writ petition} as withdrawn.

This is for your information and needful.

Devendra Kumar Sinha
01/09/2015
**(Devendra Kumar Sinha)
Senior Advocate
Addl. Advocate General No.2**